Website: www.cbseacademic.in Ph.no:011-23220155
Email-id: sugandh.cbse@gmail.com

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
शिक्षा सदन, 17, इन्सटिट्यूशनल क्षेत्र, राउज एवेन्यु, दिल्ली–110002.
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
"Shiksha Sadan", 17, Institutional Area, Rouse Avenue, Delhi-110002

के.मा.शि.बो./शै. /अ.नि.(अ.एवं न)/भ.वि.प./2016 **14 जुलाई 2016**

परिपत्र संख्या.: शै-26/2016

के.मा.शि.बो. भारतीय विरासत पहेली 2016

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध
सभी विद्यालय प्रमुखों के लिए

भारतीय विरासत की पहेली विद्यार्थियों में अपने देश की अनोखी विरासत एवं संस्कृति के प्रति रचनात्मक और प्रशंसात्मक रूचि विकसित करने के लिए बोर्ड की एक पहल है। प्रत्येक वर्ष देश के सभी भागों से छात्र उत्साह के साथ इसमें भाग लेते हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें विद्यालयों का विपुल समर्थन और सहयोग रहा है जिसने इस समृद्धि को शक्ति दी है। इस प्रवृति को जारी रखना चाहिए और विद्यालयों को आने वाले सत्र 2016-17 में आयोजित होने वाली भारत की विरासत पहेली में और अधिक बड़े तथा प्रभावी रूप में सम्मिलित होना चाहिए। पूर्व वर्ष के व्यवहार के अनुसार पहेली में 25% प्रश्न उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अपनायी जाने वाली संस्कृति से संबंधित होंगे।

प्रक्रिया:

चरण 1	**चरण 2**	**चरण 3**
शहरी शाखा	क्षेत्रीय शाखा	राष्ट्रीय सेमी फाइनल और फाइनल
अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से लेकर नवम्बर के मध्य तक	नवम्बर के मध्य से लेकर दिसम्बर के प्रथम सप्ताह तक	दिसम्बर के मध्य सप्ताह में

नोट: शहर (स्थान) का सुनिश्चितीकरण पंजीकरण के बाद होगा और अधिसूचना के द्वारा सूचित की जाएगी।

चरण 1:शहरी शाखा:

प्रत्येक क्षेत्र में भौगोलिक विविधता और प्रत्युत्तरों के आधार पर क्षेत्र को एक, दो, तीन, या छह शहरी शाखाओं में बाँटा जाएगा। आयोजन के.मा. शि.बो. के क्षेत्रों के अनुसार न्यूनतम एक क्षेत्र में और अधिकतम छह क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा।

1.1 पहेली प्रतियोगिता अंनतिम रूप से अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से लेकर नवम्बर के मध्य तक आयोजित होनी हैं। यह दो चरणों की एक दिवसीय घटना होगी। प्रत्येक विद्यालय का प्रतिनिधित्व कक्षा IX से XII की कक्षा से चयनित 3 विद्यार्थियों द्वारा किया जाएगा।

- **प्रथम स्तर का दौर: लिखित अर्हता दौर:** 30 प्रश्नों की पावर पॉइन्ट आधारित एक लिखित पहेली के 25 मिनट में उत्तर दिए जाने हैं, जहाँ प्रत्येक विद्यालय का दल सामूहिक रूप से उत्तर देने का प्रयास करेगा। मूल्यांकन किए जाने के तुरन्त बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। शीर्ष 6 दल अगले दौर में जाएंगे।
- **द्वितीय स्तर का दौर:** प्रथम स्तर से अर्हता प्राप्त दल स्टेज पर 60-75 मिनट की अवधि की पहेली में भाग लेंगे। इस पहेली में मौखिक, श्रव्य और दृश्य के प्रश्न सम्मिलित होंगे। यह दौर उसी स्थल पर प्रथम दौर समाप्त होने के तुरन्त बाद किया जाएगा।

1.2 प्रत्येक शहरी शाखा से विजेता दल क्षेत्रीय फाइनल जहाँ (अधिकतम) 6 दल होंगे के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे।

चरण 2 क्षेत्रीय शाखा:

2.1 नवम्बर मध्य और दिसम्बर प्रथम सप्ताह के मध्य आयोजित होनी है। प्रत्येक क्षेत्र से (अधिकतम) 6 शीर्ष दल अन्तिम क्षेत्रीय फाइनल में मुकाबला करेंगे। पहेली प्रतियोगिता उस विद्यालय में आयोजित होगी, जहाँ क्षेत्र की अन्तिम शहरी शाखा प्रतियोगिता का आयोजन होना है। यह दौर मंच पर मौखिक, श्रव्य और दृश्य प्रश्नों का होगा। प्रत्येक क्षेत्र के दो शीर्ष दल **राष्ट्रीय सेमी फाइनल** के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे।

2.2 शहरी और क्षेत्रीय शाखाओं के कार्यक्रम CBSE website की अधिसूचना में सम्मिलित किए जाएंगे, ताकि दल अपनी यात्रा, आवास व खान-पान की व्यवस्था कर सकें।

चरण 3: राष्ट्रीय सेमी फाइनल और फाइनल:

अंनतिम रूप से दिसम्बर 2016 के मध्य आयोजित होनी है, 10 प्रतियोगी क्षेत्रों के 20 दलों को 5 समूहों में, प्रत्येक में 4 दल, में विभक्त किया जाएगा। प्रत्येक समूह का विजेता फाइनल के लिए अर्हता प्राप्त करेगा। **राष्ट्रीय सेमी फाइनल और फाइनल दिल्ली में आयोजित होगा और दूरदर्शन पर प्रसारित होगा।**

3.1 इच्छुक विद्यालयों को ऑनलाइन पंजीकरण फार्म (संलग्नक ए) www.cbseacademic.in पर संबद्धता संख्या और विद्यालय संख्या दर्जकर व प्रस्तुत कर 15 अगस्त 2016 से पूर्व अपनी भागीदारी की पुष्टि करनी चाहिए। पंजीकरण शुल्क 600 रुपये NEFT के माध्यम से बोर्ड के खाते में हस्तान्तरित किया जाना चाहिए। **NEFT के माध्यम से शुल्क जमा कर एकमात्र संव्यवहार प्रसंग संख्या (unique transaction reference number)** का पंजीकरण फार्म में उल्लेख किया जाना चाहिए।

निम्न विवरण के अनुसार पंजीकरण शुल्क का NEFT के द्वारा स्थानान्तरण किया जा सकता है

खाता धारक का नाम :	सचिव, के.मा.शि.बो
खाता संख्या :	24172010004103
बैंक का नाम व शाखा:	सिंडिकेट बैंक, सीबीएसई एक्सटेंशन केंद्र, नई दिल्ली -110002
आई एफ एस कोड :	SYNB0002417

नोट: ऑनलाइन फार्म के जमा किए जाने के बाद एक बार दर्ज किया गया विवरण बदला नहीं जा सकेगा। बिना UTR कोड के पंजीकरण फार्म विचारणीय नहीं होगा।

3.2 NEFT के माध्यम से शुल्क के हस्तांतरण के पश्चात् प्राप्त होने पर ही ऑनलाइन पंजीकरण पर विचार होगा। पंजीकरण के लिए 15 अगस्त 2016 अंतिम तिथि है। अंतिम समय में होने वाली देरी से बचने के लिए विद्यालयों को अतिशीघ्र पंजीकरण के लिए सलाह दी जाती है।

कक्षा IX से XII तक के सभी विद्यार्थियों के लिए भागीदारिता खुली है। इच्छुक विद्यालयों से तीन विद्यार्थियों को चयनित कर प्रायोजित करने के लिए आग्रह किया जाता है। जिन्हें शहरी शाखा में प्रतियोगिता के लिए दल में पंजीकृत किया जाएगा

- दल जो राष्ट्रीय फाइनल में प्रतियोगिता के लिए अर्हता प्राप्त करते है, के तीन विद्यार्थियों व एक संरक्षक शिक्षक को आरक्षण शुल्क सहित द्वितीय क्षेणी का रेल भाड़ा (टिकट की फोटो प्रति के साक्ष्य में) भुगतान किया जाएगा।
- **नियम व विनियम पंजीकरण फार्म में दिए गए हैं।**

सेमी फाइनल और फाइनल के सभी सहभागियों को
प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएगें।
विजेताओं हेतु आकर्षक पुरस्कार एवं ट्राफी

प्रथम पुरस्कार	21,000/-x 01 दल	21,000/- रुपये
द्वितीय पुरस्कार	12,000/-x 01 दल	12,000/- रुपये
तृतीय पुरस्कार	7,500/-x 01 दल	7,500/- रुपये
चतुर्थ पुरस्कार	4,500/-x 01 दल	4,500/- रुपये
द्वितीय स्थान (सेमी फाइलन)	3,000/-x 04 दल	12,000/- रुपये
तृतीय स्थान (सेमी फाइलन)	1,500/-x 04 दल	6,000/- रुपये
चतुर्थ स्थान (सेमी फाइलन)	1,000/-x 04 दल	4,000/- रुपये

और अधिक सूचनाओं के लिए डॉ. प्रज्ञा वर्मा, उप निदेशक को 011-23220158 या pragya.cbse@gmail.com, पर संपर्क करें।
कृपया अद्यतनों के लिए के.मा.शि.बो. की वेबसाइट www.cbseacademic.in के तहत अधिसूचना पर संपर्क करें।

हसताक्षरित/-
सुगंध शर्मा
अपर निदेशक (अनुसंधान एवं नवाचार)

अधोलिखित, समस्त निदेशालयों, संगठनों, संस्थानों के प्रमुखों और अधिकारियों को प्रतिलिपि इस अनुरोध के साथ जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को सूचना प्रदान करने का कष्ट करें।

अधोलिखित, समस्त निदेशालयों, संगठनों, संस्थानों के प्रमुखों और अधिकारियों को प्रतिलिपि इस अनुरोध के साथ जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को सूचना प्रदान करने का कष्ट करें।

1. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18-इंस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
2. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी -15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201307
3. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली-110054
4. निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर-9 चंडीगढ़-160017
5. शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम-737101
6. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर-791111
7. शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर-744101
8. राज्य शिक्षा संस्थान, के.मा.शि.बो. कक्ष, वी.आई.पी. मार्ग जंगली घाट. पी.ओ.-744103 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
9. केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, एस.एस. प्लाज़ा, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085
10. अपर महानिदेशक, ए-विंग, सेना भवन, डीएचक्यू, पीओ, नई दिल्ली-110001
11. निदेशक, एडब्ल्यूईएस, रक्षा मंत्रालय (सेना), एकीकृत मुख्यालय, FDRC बिल्डिंग नं 202, शंकर विहार (निकट ए पी एस), दिल्ली कैंट-110010.
12. अवर सचिव (ईई-1) मानव संसाधन विकास मंत्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली-110001
13. सभी क्षेत्रीय निदेशक/क्षेत्रीय अधिकारी के.मा.शि.बो. को अपने संबंधित क्षेत्रों में बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों के प्रमुखों को परिपत्र की प्रति प्रेषित करने हेतु
14. सभी एसोसिऐट प्रोफेसर और अपर निदेशक/सलाहकार/परामर्शदाता
15. सभी अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक-निदेशक, वोकेशनल सेल, के.मा.शि.बो.
16. प्रभारी अधिकारी आई.टी.परिपत्र को के.मा.शि.बो. की वेबसाइट पर डालने हेतु
17. सभी सहायक प्रोफेसर एवं संयुक्त निदेशक, के.मा.शि.बो.
18. सभी सहायक प्रोफेसर एवं उप निदेशक, के.मा.शि.बो.
19. सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, के.मा.शि.बो.
20. जन संपर्क अधिकारी, के.मा.शि.बो.
21. अध्यक्ष, के.मा.शि.बो., के वरिष्ठ निजी सचिव
22. सचिव, के.मा.शि.बो. के वरिष्ठ निजी सचिव
23. परीक्षा नियंत्रक, के.मा.शि.बो. के वरिष्ठ निजी सचिव
24. निदेशक (विशेष परीक्षा तथा सी.टी.ई.टी.), के.मा.शि.बो., के वरिष्ठ निजी सचिव
25. निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) के वरिष्ठ निजी सहायक
26. अपर निदेशक एवं प्रभारी (अनुसंधान एवं नवाचार) के निजी सहायक

अपर निदेशक (अनुसंधान एवं नवाचार)